भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3418
(जिसका उत्तर सोमवार, 16 दिसम्बर, 2024/25 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है)
वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (वीडीए) विनियमन

3418. श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टीः
श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालूः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (वीडीए) के लिए एक व्यापक विनियामक ढांचा स्थापित करने के लिए कदम उठा रही है और यदि हां**,** तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**;**
(ख) क्या सरकार वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (वीडीए) विनियमन पर अपने रुख को दर्शाने के लिए एक चर्चा-पत्र तैयार कर रही है**;**
(ग) यदि हां**,** तो उक्त चर्चा-पत्र की वर्तमान स्थिति क्या है और इसे जारी करने की अपेक्षित समय-सीमा क्या है**;**
(घ) वीडीए उद्योग में नवाचार और निवेशक संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए विचाराधीन विशिष्ट उपायों का ब्यौरा क्या है**;**
(ङ) क्या सरकार ने विनियामक चुनौतियों का समाधान करने के लिए वीडीए क्षेत्र के हितधारकों के साथ परामर्श किया है और यदि हां**,** तो वर्ष-वार वर्गीकृत परामर्शों की संख्या कितनी है**;** और
(च) भारत में देश के उद्योग में वीडीए के लिए विनियामक दिशानिर्देशों को लागू करने की अनुमानित समय-सीमा संबंधी ब्यौरा क्या है**?**

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (च): वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (वीडीए) परिभाषा के अनुसार सीमा रहित हैं और इनकी विनियामक मध्यस्थता को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होती है। इसलिए, इस विषय पर कोई भी व्यापक विनियामक फ्रेमवर्क केवल जोखिमों और लाभों के मूल्यांकन तथा सामान्य वर्गीकरण एवं मानकों के मूल्यांकन पर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ प्रभावी हो सकता है। इसके बावजूद, सरकार ने दिनांक 7 मार्च, 2023 की अधिसूचना के माध्यम से वीडीए को धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के दायरे के तहत लाया है ताकि वीडीए से जुड़े लेनदेन को पीएमएलए के दायरे में लाया जा सके। इसके अलावा, इन आस्तियों से आय पर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर लगाया जाता है और वीडीए क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत विनियमित किया जाता है। इसके अलावा, पिछले साल जी20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) सिंथेसिस पेपर के साथ-साथ 'क्रिप्टो आस्तियों पर जी20 रोडमैप' को अपनाया गया था। यह सिंथेसिस पेपर क्रिप्टो आस्तियों के लिए एक समन्वित और व्यापक नीति और विनियामक फ्रेमवर्क प्रदान करता है, जो उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) के लिए विशिष्ट जोखिमों सहित जोखिमों की पूरी श्रृंखला पर ध्यान देता है। भारत सहित सभी अधिकारक्षेत्रों से अपेक्षित है कि वे अपनी देश-विशिष्ट विशेषताओं और जोखिमों का मूल्यांकन करें तथा क्रिप्टो आस्तियों के लिए किसी भी आवश्यक उपाय पर उचित रूप से विचार करने के लिए मानक-निर्धारण निकायों

और जी20 के साथ जुड़ें। ऐसी प्रक्रिया के एक भाग में अधिकारक्षेत्र द्वारा विचाराधीन रुख या विभिन्न रुखों पर फीडबैक प्राप्त करने के लिए एक चर्चा पत्र का प्रकाशन शामिल हो सकता है। तथापि, प्रक्रिया में किसी भी कदम के लिए कोई विशिष्ट समयसीमा नहीं है, जिसमें चर्चा पत्र का प्रकाशन भी शामिल है, क्योंकि इसे मूल्यांकन किए गए जोखिमों के आधार पर इस तरह के रुख या रुख निर्धारित होने के बाद ही प्रकाशित किया जा सकता है। इसके अलावा, अर्थव्यवस्था की वित्तीय और मौद्रिक स्थिरता को बनाए रखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था को वीडीए क्षेत्र द्वारा उत्पन्न जोखिमों से बचाने के व्यापक उद्देश्य के आलोक में निवेशक संरक्षण और नवाचार को संतुलित करने की आवश्यकता का आकलन किया जाना चाहिए। इसके अलावा, इस क्षेत्र की सीमापार और डिजिटल प्रकृति के कारण, निवेशक सुरक्षा उपाय केवल कुछ जोखिमों को सीमित सीमा तक कम कर सकते हैं और उन्हें पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा, सरकार ने क्रिप्टो आस्तियों से संबंधित नीति निर्माण पर समय-समय पर उद्योग सहित हितधारकों और प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ औपचारिक और अनौपचारिक परामर्श किया है। तथापि, भारत में वीडीए उद्योग के लिए व्यापक विनियामक दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए कोई समयसीमा अपेक्षित नहीं है।

*****